No. TCP-A03/1/2022
Government of Himachal Pradesh
Department of Town & Country Planning.
***

To

The Secretary,
H.P. Vidhan Sabha,
Shimla-171004

Dated: Shimla-2, the 11th August, 2022

Subject: **Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Bill, 2022.**

Sir,

I have the honour to give notice of my intention to introduce the "Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Bill, 2022" in the current session of Himachal Pradesh Legislative Assembly.

I, therefore, request you to obtain the permission from the Hon'ble Speaker to include the aforesaid Bill in the list of business for introduction, consideration and passing the same in the current session in relaxation of relevant rules.

Three authenticated copies of the above mentioned Bill are enclosed, herewith.

Yours faithfully,

(Suresh Bhardwaj)
T.C.P. Minister, H.P.

2022 का विधेयक संख्यांक 12

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2022

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 34 का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

धारा 34 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"34. अनुज्ञा का व्यपगत होना.——धारा 31 या धारा 32 या धारा 33 के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञा ऐसे प्रदान किए जाने की तारीख से शाश्वततया प्रवृत्त रहेगी :

परन्तु निदेशक किसी आवेदन पर अधिनियम के अधीन जारी अनुज्ञा का पुनः विधिमान्यकरण या संशोधन कर सकेगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 31 के अनुसार निदेशक के पास किसी भी भवन आदि के सन्निर्माण की योजना अनुज्ञा प्रदान करने या अस्वीकार करने की शक्ति है। इसके अतिरिक्त, धारा 32, धारा 31 के अधीन पारित किए गए आदेश के विरुद्ध अपील का उपबंध करती है और धारा 33 के अधीन राज्य सरकार के पास पुनरीक्षण की शक्ति है। वर्तमानतः धारा 31 या धारा 32 या धारा 33 के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञा ऐसे प्रदान किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहती है और तत्पश्चात् यह व्यपगत हो जाएगी। अनुज्ञा वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारित की जा सकेगी, किन्तु कुल अवधि ऐसी तारीख, जिसको अनुज्ञा प्रारम्भ में प्रदान की गई थी, से किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के अधीन निर्माण या संकर्म के निष्पादन की अवधि को अधिनियम की धारा 251 के अनुसार आयुक्त, नगर निगम द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हेतु "युक्तियुक्त अवधि" के रूप में परिभाषित किया गया था। किन्तु हिमाचल प्रदेश नगर निगम की धारा 251 का 2007 के अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा समस्त विकास/योजना–अनुज्ञाओं/स्वीकृतियों को इस प्रकार शाश्वततया विधिमान्य करने हेतु लोप कर दिया गया था।

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के मध्य विकास/योजना–अनुज्ञाओं/स्वीकृतियों की विधिमान्यता में इस विरोधाभास को इंगित किया जा चुका है और समय–समय पर विभिन्न मंचों पर इसकी चर्चा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, यहां यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि किसी पहाड़ी राज्य में बड़े पैमाने पर परियोजनाएं विशेषता आवासीय, पर्यटन, अचल सम्पत्ति और औद्योगिक परियोजनाएं, विभिन्न बाध्यताओं जैसे स्थल/स्थलाकृति स्थितियों जलवायु सम्बन्धी और उतार–चढ़ाव, वित्तीय बाध्यताओं और कुछ अप्रत्याशित घटनाओं आदि के कारण तीन से पांच वर्ष की नियत अवधि के भीतर बड़ी मुश्किल से ही पूर्ण होती है। इसलिए योजना–अनुज्ञा की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और व्यवसाय को सुगम बनाने के आशय से हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के समान पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 34 के अधीन नक्शों के अनुमोदन की विधिमान्यता को शाश्वतता के लिए आवेदकों और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों के लिए परियोजना प्रस्तावकों की अपेक्षा के अनुसार अनुज्ञा/स्वीकृति के पुनरीक्षण और पुनर्वैधीकरण के साथ विस्तारित करने का प्रस्ताव किया जाता है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुरेश भारद्वाज)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
तारीख :....., 2022.

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2022

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(सुरेश भारद्वाज)
प्रभारी मन्त्री।

(राजीव भारद्वाज)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख : ....., 2022

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 के अधिनियम संख्यांक 12) के उपबन्धों के उद्धरण

धारा :

34. अनुज्ञा का व्यपगत होना.––धारा 31 या 32 अथवा धारा 33 के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञा ऐसे प्रदान किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी और तत्पश्चात् यह व्यपगत हो जाएगी :

परन्तु निदेशक, आवेदन किए जाने पर, ऐसी अवधि वर्ष प्रति वर्ष बढ़ा सकेगा किन्तु कुल अवधि, उस तारीख से जिस को प्रारम्भ में अनुज्ञा प्रदान की गई थी, किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि ऐसा व्यपगत होना इस अधिनियम के अधीन नई अनुज्ञा के लिए किसी पश्चात्वर्ती आवेदन को वर्जित नहीं करेगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 12 OF 2022

THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING (AMENDMENT) BILL, 2022

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING (AMENDMENT) BILL, 2022

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 34.

Bill No. 12 of 2022

THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING (AMENDMENT) BILL, 2022

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Act, 2022. Short title.

2. For section 34 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977, the following shall be substituted, namely :— Amendment of section 34.

"34. Lapse of permission.—Every permission granted under section 31 or section 32 or section 33 shall remain in force for perpetuity from the date of such grant:

Provided that the Director may, on an application, revalidate or revise the permission issued under this Act.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per section 31 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) the Director has the power to grant or refuse the planning permission to construct any building etc. Further section 32 provides for appeal against the order passed under section 31 and the State Government has power of revision under section 33. Presently every permission granted under section 31 or section 32 or section 33 remains in force for a period of three years from the date of such grant and thereafter it shall lapse. The permission may be extended from year to year but the total period shall in no case exceed five years from the date on which the permission was initially granted.

Further, under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, the period for completion of building or work was defined as "reasonable period" to be specified by the Commissioner, The Municipal Corporation as per section 251 of the Act. But section 251 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, was deleted *vide* Act No. 19 of 2007, thus making all development/planning permissions/sanctions valid for perpetuity.

This dichotomy in the validity of development/planning permissions/sanctions between Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 and the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 has been pointed out and discussed at various forums from time to time. Further, it is imperative to point out here that in a hilly State, the large scale projects especially the residential, tourism, real estate and industrial projects are rarely completed within the stipulated short span of 3 to 5 years due to various constraints like site/topographic conditions, climatic conditions and variation, financial constraints, and some unforeseen events etc.

Thus, in order to streamline the process of planning permission and to promote ease of doing business, it is proposed to extend the validity of map approvals under section 34 of the Act *ibid* at par with the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 for perpetuity, with provision of revision and revalidation of the permission/sanction as per requirement of the applicants and project proponents for the areas notified by the State Government.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SURESH BHARDWAJ)
Minister-in-Charge.

SHIMLA:

The....., 2022

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING (AMENDMENT) BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977).

(SURESH BHARDWAJ)
Minister-in-Charge.

(RAJEEV BHARDWAJ)
Principal Secretary (Law).

SHIMLA :

The....., 2022

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT, 1977 (ACT NO. 12 OF 1977) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Sections:

34. Lapse of permission.—Every permission granted under section 31 or section 32 or section 33 shall remain in force for a period of three years from the date of such grant and thereafter it shall lapse:

Provided that the Director may, on an application, extend such period from year to year but the total period shall, in no case exceed five years from the date on which the permission was initially granted:

Provided further that such lapse shall not bar any subsequent application for fresh permission under this Act.